रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 8, 2019/कार्तिक 17, 1941
No. 355] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 2019/KARTIKA 17, 1941

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2019

सं. पी-12029(11)/2/2018-ओएमसी-पीएनजी.—भारत सरकार ने दिनांक 21 नवंबर, 1997 के संकल्प संख्या सं.पी-20012/29/97-पीपी द्वारा मोटर स्प्रिट (एमएस), हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) और विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) की प्रशासित मूल्य व्यवस्था (एपीएम) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का निर्णय लिया। तत्पश्चात, मार्च, 2000 में 'भारतीय हाइड्रोकार्बन विजन-2025' विकसित करने के लिए विशेष रूपरेखा तैयार करने वाले मंत्री समूह द्वारा प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने दिनांक 08 मार्च, 2002 के संकल्प संख्या पी-23015/1/2001-विपणन द्वारा निजी क्षेत्र सहित नई कंपनियों को परिवहन ईंधनों का विपणन करने का प्राधिकार प्रदान करने का निर्णय लिया। तत्पश्चात, दिनांक 10.08.2015 के संकल्प संख्या पी-11013/1/2-15-वितरण द्वारा जैव डीजल को भी इसमें शामिल करने के लिए उक्त संकल्प को संशोधित किया गया था। उक्त संकल्प में दिशा-निर्देशों से आज तक प्राधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया को विनियमित किया जा रहा है।

2. विपणन के बदले हुए तौर-तरीकों को ध्यान में रखते हुए और निजी क्षेत्र की विपणन कंपनियों से और अधिक प्रतिस्पर्धा शुरू करके खुदरा विपणन में सेवा स्तरों में और अधिक सुधार करने के उद्देश्य से परिवहन ईंधनों के विपणन हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए दिनांक 05 अक्तूबर, 2018 के आदेश संख्या सं. पी-12029(11)/2/2018-ओएमसी-पीएनजी द्वारा इस मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। रिपोर्ट में एमएस और एचएसडी के विपणन में विदेशी कंपनियों सहित निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और वैकल्पिक ईंधनों के वितरण को बढ़ावा देने तथा दूरस्थ क्षेत्रों में खुदरा नेटवर्क को बढ़ाने और ग्राहक सेवा के उच्चतर स्तर को सुनिश्चित करने के लिए उपायों की सिफारिश की गई है।

3. भारत सरकार ने उपर्युक्त रिपोर्ट तथा विभिन्न पणधारकों से प्राप्त हुई टिप्पणियों पर विचार करने के बाद अब परिवहन ईंधनों अर्थात एमएस तथा एचएसडी का विपणन करने का प्राधिकार निजी क्षेत्र सहित नई कंपनियों को प्रदान करने तथा पहले से ही प्राधिकृत की जा चुकी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के लिए निर्धारित शर्तों में कुछ संशोधन करने के लिए भी दिशा-निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

4. इसे ध्यान में रखते हुए कि परिवहन ईंधनों (एमएस और एचएसडी) के विपणन का खुदरा और थोक कारोबार प्रकृति में अलग-अलग हैं, इसलिए कंपनियां खुदरा कारोबार अथवा थोक कारोबार अथवा दोनों के लिए आवेदन कर सकती हैं।

5. **खुदरा कारोबार** तब होता है जब एक कंपनी अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों में स्थापित वितरण इकाइयों के जरिए उत्पादों की बिक्री करती है। **थोक कारोबार** तब होता है जब एक कंपनी सीधे ही अंत्य प्रयोक्ताओं को (उनकी अपनी खपत के लिए और पुन:बिक्री के लिए नहीं) और/अथवा ऐसी अन्य कंपनियों को उत्पाद की थोक में {सामान्यत: न्यूनतम बारह हजार (12,000) लीटर प्रति डिलीवरी का लदा हुआ पूरा ट्रक} आपूर्ति करती है जिन्होंने विपणन प्राधिकार (खुदरा बाजार अथवा थोक बाजार अथवा दोनों में बिक्री के लिए) प्राप्त कर लिए हैं। प्रत्येक प्रकार के आवेदन के लिए प्राधिकार प्रदान करने संबंधी दिशा-निर्देश नीचे अलग से बताए गए हैं।

6. खुदरा विपणन के लिए प्राधिकार : खुदरा कारोबार तब होता है जब एक कंपनी अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों में स्थापित वितरण इकाइयों के जरिए उत्पादों की बिक्री करती है।

6.1 पात्रता मानदंड

6.1.1 केवल खुदरा विपणन के लिए प्राधिकार हेतु आवेदन करने वाली कंपनी का न्यूनतम निवल मूल्य प्राधिकार प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन करने के समय कम से कम 250 करोड़ रुपए (दो सौ पचास करोड़ रुपए) होना चाहिए। तदनुसार, कंपनी द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में पिछले वित्त वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं से संबंधित विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। इसके अलावा, कंपनी द्वारा यह सुनिश्चित करना अपेक्षित होगा कि प्राधिकार की अवधि के दौरान किसी भी समय उसका निवल मूल्य 250 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा। अत: कंपनी द्वारा इस संबंध में लेखा परीक्षित लेखाओं से संबंधित विवरण सहित केंद्र सरकार को एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। यदि दई स्थापित हुई कंपनी प्राधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रही है और उसके पास लेखा परीक्षित लेखाओं से संबंधित विवरण नहीं है तो सनदी लेखाकार से इस आशय का प्रमाण पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा कि कंपनी का निवल मूल्य 250 करोड़ रुपए है। आवेदन के संबंध में निर्णय लेते समय केवल प्राधिकार के लिए आवेदन करने वाली कंपनी के (उसकी मूल कंपनी के नहीं) प्रत्यय पत्रों पर विचार किया जाएगा।

6.1.2 खुदरा विपणन के लिए प्राधिकार कंपनी की इस संकल्प तथा कंपनी को जारी किए गए प्राधिकार पत्र में बताई गई शर्तों का अनुपालन करने की वचनबद्धता पर निर्भर करेगा।

6.1.3 प्राधिकृत कंपनियों द्वारा अपने प्रस्तावित खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज) में उक्त बिक्री केन्द्र का प्रचालन शुरू करने से तीन वर्ष के भीतर कम से कम एक नई पीढ़ी के वैकल्पिक ईंधन जैसे संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी), जैव ईंधन, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का विपणन करने, इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्वाइंट आदि की सुविधाएं स्थापित करना अपेक्षित है बशर्ते कंपनी अन्य विविध सांविधिक दिशा निर्देशों (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन आदि के, यथा लागू) का अनुपालन कर रही है। प्राधिकृत कंपनी पर अन्य कंपनियों द्वारा नई पीढ़ी ईंधनों की बिक्री के लिए समान खुदरा बिक्री केन्द्र परिसरों का उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा बशर्ते कंपनी यथा लागू सभी सांविधिक दिशा निर्देशों का अनुपालन कर रही हो।

6.2 आवेदन प्रक्रिया

खुदरा विपणन के लिए प्राधिकार प्राप्त करने की इच्छुक कंपनी केन्द्र सरकार को 25 लाख रुपए (पच्चीस लाख रुपए) के अपेक्षित गैर-वापसी योग्य आवेदन-शुल्क सहित निर्धारित तरीके से आवेदन करेगी। कंपनी को कम से कम 100 खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने होंगे जिनमें से स्थापना हेतु प्रस्तावित खुदरा बिक्री केन्द्रों के कम से कम पांच प्रतिशत (5%) बिक्री केन्द्र पैरा 6.2.1 में बताई गई समय सीमा के अनुसार प्राधिकार प्रदान किए जाने से 5 वर्ष के भीतर अधिसूचित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित करने होंगे। पैरा 6.2.1 में यथा उल्लिखित प्राधिकृत खुदरा बिक्री केन्द्रों की संचित प्रतिशतता खुदरा बिक्री केन्द्रों की वह संख्या है जिन्हें उस वर्ष के अंत तक कंपनी द्वारा स्थापित करना अपेक्षित है। वर्ष का परिकलन प्राधिकार प्रदान करने की तारीख से किया जाएगा।

प्राधिकृत कंपनी को किसी एमएस तथा एचएसडी अथवा दोनों के अपने गैर-दूरस्थ खुदरा बिक्री केन्द्र को चालू करने की छूट होगी। तथापि, एक दूरस्थ क्षेत्र के खुदरा बिक्री केन्द्र पर एमएस और एचएसडी दोनों की सुविधा उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। गैर-दूरस्थ खुदरा बिक्री केन्द्रों के मामले में यदि कोई कंपनी एक स्थल पर केवल एमएस सुविधा और अन्य स्थल पर केवल एचएसडी सुविधा उपलब्ध करवाती है तो उन्हें दो खुदरा बिक्री केन्द्र माना जाएगा।

6.2.1 दूरस्थ क्षेत्र खुदरा बिक्री केंद्रों को चालू करने का कार्यक्रम

दूरस्थ क्षेत्र न्यूनतम खुदरा बिक्री केंद्रों को चालू करने की समय-सीमा निम्नानुसार है:

वर्ष के अंत में	अपेक्षित दूरस्थ क्षेत्र आरओ का न्यूनतम संचयी प्रतिशत (%)*
पहला	**0**
दूसरा	**0**
तीसरा	**20**
चौथा	**50**
पांचवां	**100**

*यदि संख्या दशमलव में आती है, तो अगले उच्च अंक तक पूर्णांकित किया जाएगा।

(उदाहरण के लिए यदि प्रतिशत 4.2 हो जाता है, तो इसे 5 पर पूर्णांकित किया जाएगा)

6.2.2 विपणन योजना

खुदरा विपणन के लिए प्राधिकार की मांग करने वाली कंपनी भी अपने आवेदन में एक विपणन योजना प्रस्तुत करेगी। कंपनी के लिए आवश्यक होगा कि वह खुदरा बिक्री केंद्र की वर्षवार संख्या बताए जो वह आवेदन में ही न्यूनतम सौ (100) खुदरा बिक्री केंद्रों के अधीन स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। उपर्युक्त के अलावा, विपणन योजना में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- विपणन किए जाने वाले उत्पादों की आपूर्ति का स्रोत;
- अपनी क्षमता के साथ टैंक और अन्य बुनियादी ढांचे;
- डिपो और आरओ को उत्पादों के परिवहन के साधन; तथा
- आरओ की वर्षवार प्रस्तावित संख्या।

6.2.3 दूरस्थ क्षेत्र दायित्व

6.2.3.1 प्रस्तावित खुदरा बिक्री केंद्रों को पांच प्रतिशत (5%) अधिसूचित दूरस्थ क्षेत्रों में कंपनी द्वारा प्राधिकृत किए जाने के पांच वर्ष के भीतर पैरा 6.2.1 में दर्शाई गई समय-सीमा के अनुसार स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में इस संकल्प के उद्देश्य के लिए **दूरस्थ क्षेत्र (आरए)** को दिनांक 5 अगस्त 2003 की अधिसूचना सं. पी-23015/1/2003-विपणन में परिभाषित किया गया है। केंद्र सरकार समय-समय पर दूरदराज के क्षेत्रों में निर्दिष्ट क्षेत्रों की सूची को अद्यतन कर सकती है ताकि विभिन्न ओएमसी द्वारा स्थापित खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या को ध्यान में रखा जा सके और सभी दूरस्थ क्षेत्रों की कवरेज सुनिश्चित की जा सके। एक बार जब किसी विशेष दूरस्थ क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में खुदरा बिक्री केंद्र स्थापित हो जाएं, तो केंद्र सरकार ऐसे क्षेत्र को सूची से बाहर करने की अधिसूचना जारी कर सकती है जो सामान्यत: ऐसी अधिसूचना के एक साल बाद प्रभावी होंगे। तथापि, यदि कोई खुदरा बिक्री केंद्र एक बार किसी दूरस्थ क्षेत्र में स्थापित हो जाता है तो उसे दूरस्थ क्षेत्र के खुदरा बिक्री केंद्र के रूप में गिना जाता रहेगा।

6.2.3.2 कंपनी के लिए दूरस्थ क्षेत्र खुदरा बिक्री केंद्रों के प्रति अपने दायित्व के संबंध में निम्नलिखित दो विकल्प उपलब्ध होंगे, जिन्हें उन्हें आवेदन के समय ही चुनना होगा।

विकल्प-1: यदि कंपनी स्वयं ऐसा आरओ स्थापित नहीं करना चाहती तो उसे सरकार द्वारा प्राधिकार प्रदान किए जाने के एक महीने के भीतर दूरस्थ क्षेत्र आरओ को 2 करोड़ रुपए (दो करोड़ रुपए) का अग्रिम भुगतान करना होगा।

विकल्प-2: यदि प्राधिकृत कंपनी स्वयं ऐसे आरओ स्वयं स्थापित करना चाहती है, तो सरकार को प्राधिकार प्रदान किए जाने के एक माह के भीतर प्रति दूरस्थ क्षेत्र आरओ के लिए 3 करोड़ रुपए (तीन करोड़ रुपए) की बैंक गारंटी (बीजी) जमा कराएगी। यदि प्राधिकृत कंपनी पैरा 6.2.1 में उपर्युक्त समय-सीमा के अनुसार दूरस्थ क्षेत्र आरओ स्थापित करने में विफल रहती है, तो सरकार कमी वाले वर्ष की समाप्ति पर दूरस्थ क्षेत्र आरओ में 3 करोड़ रुपए/ आरओ की दर से कमी के बराबर बैंक गारंटी को तत्काल भुना लेगी। वर्ष की गणना प्राधिकार प्रदान किए जाने की तारीख से की जाएगी।

6.2.3.3 केंद्र सरकार बोली प्रक्रिया का उपयोग करके या पीएसयू ओएमसी के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में खुदरा बिक्री केंद्रों की स्थापना के लिए उपरोक्त दोनों विकल्पों के तहत प्राप्त निधियों का उपयोग करेगी।

तत्पश्चात, अनुसूची के अनुसार कंपनी द्वारा स्थापित किए जाने वाले अधिकृत आरओ की कुल संख्या को दूरस्थ क्षेत्र की बाध्यता को पूरा करने के लिए भुगतान की गई अग्रिम राशि (विकल्प 1) या दंड (विकल्प 2) में से घटा दिया जाएगा।

6.2.4 दूरस्थ सेवा आरओ के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ)

प्राधिकृत कंपनियों को समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित और नीचे दिए गए तरीके से दूरस्थ क्षेत्र खुदरा बिक्री केंद्रों के संबंध में कुछ सार्वभौमिक सेवा दायित्वों (यूएसओ) का पालन करना होगा।

- निर्दिष्ट कार्य समय के दौरान और निर्दिष्ट गुणवत्ता और मात्रा में खुदरा उपभोक्ताओं को एमएस और एचएसडी की आपूर्ति बनाए रखना।
- खुदरा बिक्री केंद्रों पर सभी खुदरा उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट एमएस और एचएसडी के न्यूनतम इन्वेंट्री स्तर को बनाए रखना।
- उपयुक्त समयावधि के भीतर और मांग करने पर बिना किसी भेदभाव के किसी भी व्यक्ति को सेवा प्रदान करना।
- ग्राहकों को हर समय उचित मूल्य पर ईंधन उपलब्ध कराना।

6.2.5 बैंक गारंटी (बीजी) और दंड

कंपनी निम्नलिखित को पूरा करने के लिए खुदरा विपणन का प्राधिकार प्रदान करते समय केंद्र सरकार के पास एक बैंक गारंटी जमा करेगी:

(i) 3 करोड़ (तीन करोड़ रुपए) प्रति दूरस्थ क्षेत्र, यदि कंपनी ने दूरस्थ क्षेत्र आरओ की स्थापना की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए समय-सीमा के अनुसार और आरओ के संबंध में यूएसओ को पूरा करने के लिए उपर्युक्त पैरा 6.2.3.2 में विकल्प 2 को चुना है। यदि प्राधिकृत कंपनी अनुमोदित समय-सीमा के अनुसार किसी भी दूरस्थ क्षेत्र आरओ को स्थापित करने में विफल रहती है, तो केंद्र सरकार उस वर्ष के लक्ष्य की तुलना में स्थापना में कमी के बराबर प्रति दूरस्थ क्षेत्र आरओ 3 करोड़ रुपए (तीन करोड़ रुपए) की नकद बैंक गारंटी को भुना लेगी। वास्तव में स्थापित प्रति दूरस्थ आरओ 2.5 करोड़ रुपए (दो करोड़ पचास लाख रुपए) की बैंक गारंटी को सरकार द्वारा तभी जारी किया जएगा जब अधिकृत कंपनी ने स्वयं आरओ स्थापित करके या 3 करोड़ रुपए (तीन करोड़ रुपए) के दंड का भुगतान करके अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वहन किया है। प्रति दूरस्थ आरओ 50 लाख रुपए (पचास लाख रुपए) की शेष बीजी को इन आरओ के लिए यूएसओ को पूरा करने वाली अधिकृत कंपनी की सुरक्षा जमा राशि के रूप में रखा जाएगा। तथापि, यदि कंपनी ने उपर्युक्त पैरा 6.2.3.2 में विकल्प 1 को चुना है, तो दूरस्थ क्षेत्र आरओ की स्थापना और दूरस्थ क्षेत्र से संबंधित यूएसओ को पूरा करने के लिए कोई बैंक गारंटी नहीं ली जाएगी।

(ii) जनता/ डीलरों को इसके प्रचालन के बारे में उचित प्रतिनिधित्व करने, ग्राहकों को उच्च ग्राहक सेवा प्रदान करने और केंद्र सरकार या उसकी नामित एजेंसी को इसके बुनियादी ढांचे/बिक्री/प्रचालन आदि के बारे में समय पर और नियमित जानकारी प्रदान करने के संदर्भ में बाजार में अनुशासित व्यवहार बनाए रखने के लिए 5 करोड़ रुपए। बीजी को उन सभी अधिकृत संस्थाओं से एकत्र किया जाएगा, जिन्होंने पैरा 6.2.3.2 में विकल्प 1 या विकल्प 2 को चुना है। अनुशासनहीनता के प्रत्येक प्रमाणित मामले में प्रति मामला 25 लाख रुपए (रुपए 25,00,000/-) का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि प्राधिकृत कंपनी निर्धारित समय में जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहती है, तो सरकार को जुर्माने के बराबर बीजी को भुनाने का अधिकार होगा और प्राधिकृत कंपनी को बीजी के भुनाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर 5 करोड़ रुपए (रुपए 5,00,00,000/-) के पूर्ण मूल्य पर बीजी को फिर से पूरा करना होगा।

(iii) अनुशासन बनाए रखने में बार-बार चूक होने की स्थिति में, दूरस्थ क्षेत्र के दायित्व और अनुशासन के लिए सरकार के पास जमा की गई दोनों बैंक गारंटी को सरकार द्वारा भुना लिया जाएगा और प्राधिकृत कंपनी द्वारा जमा/ भुगतान की गई कोई भी राशि जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा, सरकार सार्वजनिक हित में विपणन प्राधिकार को भी रद्द कर सकती है।

6.2.6 अन्य बिंदु

'सामान्य' श्रेणी के तहत एक पीएसयू ओएमसी वाली डीलरशिप रखने वाले व्यक्तियों को एक से अधिक विपणन कंपनी की डीलरशिप लेने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन यह भावी आरओ के लिए एक अलग साइट पर होगी, बशर्ते कि इसकी मौजूदा पीएसयू ओएमसी के साथ अनुबंध/ समझौतों में अनुमति दी जा रही हो।

किसी अधिकृत कंपनी या पीएसयू ओएमसी द्वारा काली सूची में डाले गए किसी आरओ डीलर को अन्य अधिकृत कंपनी या पीएसयू ओएमसी की डीलरशिप लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, रद्द डीलरशिप की साइटों का उपयोग अन्य अधिकृत कंपनी द्वारा किया जाएगा, बशर्ते कि रद्द खुदरा बिक्री केंद्र की साइट को प्रचालित करने के लिए मूल अधिकृत कंपनी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया हो।

किसी भी अधिकृत कंपनी को किसी अन्य कंपनी के मौजूदा खुदरा बिक्री केंद्र से परिवहन ईंधन की बिक्री करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अर्थात् किसी अन्य ओएमसी द्वारा किसी ओएमसी के मौजूदा खुदरा बिक्री केंद्र का अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

7. **थोक विपणन के लिए प्राधिकार:** बल्क व्यवसाय वह है जब कोई कंपनी अंतिम उपयोगकर्ताओं (अपने स्वयं के उपभोग के लिए न कि पुनर्विक्रय के लिए) को बल्क में {सामान्यत: न्यूनतम बारह हजार (12,000) लीटर प्रति डिलीवरी का कम से कम एक पूर्ण ट्रक लोड} और/या अन्य कंपनियों जिन्होंने विपणन प्राधिकार प्राप्त किया है (खुदरा या थोक या दोनों में बेचने के लिए) को उत्पाद की आपूर्ति प्रत्यक्ष रूप से करती है। थोक में बिक्री करने का प्राधिकार केवल एमएस और एचएसडी के लिए होगा।

7.1 पात्रता मानदंड

केंद्र सरकार को प्राधिकार के लिए आवेदन करते समय खुदरा विपणन के लिए प्राधिकार की मांग करने वाली कंपनी का अपना कम से कम 250 करोड़ रुपए (दो सौ पचास करोड़ रुपए) का न्यूनतम निवल मूल्य होना चाहिए। तदनुसार, कंपनी को अपने आवेदन के समर्थन में पिछले वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका निवल मूल्य प्राधिकार की अवधि के दौरान किसी भी समय 250 करोड़ रुपए से कम न हो जाए। इसलिए, कंपनी को लेखा परीक्षित विवरण के साथ केंद्र सरकार को इस संबंध में एक वार्षिक विवरणी दाखिल करनी होगी। नई स्थापित कंपनी के मामले में जो प्राधिकरण के लिए आवेदन करती है और जिसके पास लेखा परीक्षित विवरण नहीं होते हैं, को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक प्रमाण-पत्र, जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि कंपनी का निवल मूल्य 250 करोड़ है,

स्वीकार्य होगा। प्राधिकार के लिए आवेदन करने वाली कंपनी, न कि उसकी मूल कंपनी, यदि कोई हो, के पूर्ववृत्त पर ही विचार किया जाएगा।

7.2 आवेदन प्रक्रिया

खुदरा विपणन के लिए प्राधिकार की मांग करने वाली कंपनी 25 लाख रुपए (पच्चीस लाख रुपए) के अपेक्षित अप्रतिदेय आवेदन शुल्क सहित निर्धारित तरीके से केंद्र सरकार को एक आवेदन करेगी और उसे अप्रतिदेय प्राधिकार शुल्क के रूप में 15 करोड़ रुपए (पंद्रह करोड़ रुपए) की राशि प्राधिकार प्रदान किए जाने के समय अग्रिम भुगतान के रूप में देना होगी।

थोक विपणन के प्राधिकार की मांग करने वाली कंपनी केंद्र सरकार को अपने आवेदन के साथ एक विपणन योजना संलग्न करेगी जिसमें निम्नलिखित का विवरण होगा:

- विपणन किए जाने वाले उत्पादों की आपूर्ति का स्रोत;
- उनकी क्षमता के साथ टैंकज और अन्य बुनियादी ढांचे;
- डिपुओं और आरओ को उत्पादों के परिवहन के साधन; तथा
- कवर किए जाने वाले उत्पादों की कुल मात्रा और किस्म।

7.3 बैंक गारंटी और जुर्माना

कंपनी निम्नलिखित को पूरा करने के लिए थोक विपणन के लिए प्राधिकार प्रदान करते समय केंद्र सरकार को एक बैंक गारंटी जमा करेगी:

(i) थोक विपणन के लिए प्राधिकार प्रदान करते समय 5 करोड़ रुपए (पांच करोड़ रुपए) ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्राधिकृत कंपनी जनता/ग्राहकों/चैनल भागीदारों को अपने प्रचालनों के बारे में उचित प्रतिनिधित्व के संदर्भ में अपने प्राधिकार के प्रचालन में अनुशासन को बनाए रखे और केंद्र सरकार या इसकी नामित एजेंसी को नियमित और समय पर निर्धारित जानकारी प्रदान करे। अनुशासनहीनता के प्रत्येक प्रमाणित उदाहरण के मामले में प्रति मामला 25 लाख रुपए (पच्चीस लाख रुपए) का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि प्राधिकृत कंपनी किसी निश्चित समय में जुर्माना का भुगतान करने में विफल रहती है, तो सरकार को जुर्माना मूल्य के बराबर बीजी को भुनाने का अधिकार होगा और प्राधिकृत कंपनी को बीजी के भुनाए जाने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर बीजी के पूर्ण मूल्य 5 करोड़ रुपए (पांच करोड़ रुपए) की भरपाई करने की आवश्यकता होगी।

(ii) अनुशासन बनाए रखने में बार-बार चूक होने की स्थिति में, सरकार द्वारा उसके पास जमा कंपनी की पूरी बैंक गारंटी को भुना लिया जाएगा और कंपनी द्वारा सरकार के पास जमा/भुगतान की गई कोई भी राशि जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा, सरकार सार्वजनिक हित में विपणन प्राधिकार को भी रद्द कर सकती है।

8. खुदरा और थोक विपणन दोनों के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के लिए दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता:

खुदरा और थोक विपणन दोनों के लिए प्राधिकार की मांग करने वाली कोई कंपनी केंद्र सरकार को 50 लाख रुपए (पचास लाख रुपए) की अपेक्षित अप्रतिदेय आवेदन शुल्क के साथ एक आवेदन करेगी और उसका न्यूनतम निवल मूल्य 500 करोड़ रुपए (पाँच सौ करोड़ रुपए) होना चाहिए तथा उसे उपर्युक्त पैरा 5 और 6 और उनके उप-पैरा में उल्लिखित सभी प्रावधानों का निम्नलिखित संशोधनों के साथ पालन करना होगा:

(i) थोक विपणन के लिए अप्रतिदेय प्राधिकार शुल्क 10 करोड़ रुपए (दस करोड़ रुपए) होगा।

(ii) खुदरा और थोक दोनों प्राधिकारों के लिए, कंपनी को दोनों व्यवसायों से संबंधित अपने दायित्वों को पूरा करना होगा, तथापि, उसे अनुशासित व्यवहार के संबंध में दायित्व को पूरा करने के लिए 10 करोड़ रुपए (दस करोड़ रुपए) की बजाय 5 करोड़ रुपए (पांच करोड़ रुपए) की बैंक गारंटी जमा करनी होगी।

9. मौजूदा अधिकृत कंपनियों के लिए नए दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता

नए दिशानिर्देश मौजूदा कंपनियों पर भी लागू होंगे, जिन्हें दिनांक 8.3.2002/10.8.2015 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा जारी किए गए पूर्व दिशानिर्देशों और मौजूदा पीएसयू ओएमसी अर्थात् इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार से परिवहन ईंधन की बिक्री करने के लिए अधिकृत किया गया है:

9.1 दिनांक 8.3.2002/10.8.2015 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत परिवहन ईंधन के विपणन के लिए अधिकृत मौजूदा कंपनियां के मामले में विपणन

i. दिनांक 8.3.2002/10.8.2015 की राजपत्र अधिसूचना के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत परिवहन ईंधनों के विपणन के लिए अधिकृत सभी कंपनियों को इन दिशानिर्देशों की अधिसूचना की तारीख के बाद उनके द्वारा स्थापित किए जाने वाले खुदरा दुकानों की संख्या के बारे में केंद्र सरकार को विस्तृत विपणन योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। उन्हें नए दिशानिर्देशों की अधिसूचना के बाद उनके द्वारा स्थापित किए जाने वाले खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या के अनुपात में दूरस्त क्षेत्रों में खुदरा बिक्री केंद्रों का पांच प्रतिशत (5%) स्थापित करने की भी आवश्यकता होगी। खुदरा बिक्री केंद्रों के विशिष्ट प्रतिशत की स्थापना की समय-सीमा ऊपर पैरा 6.2.1 में उल्लेख किए गए अनुसार नई कंपनियों के लिए प्रदान की गई समय-सीमा के अनुसार ही होगी और इसे लक्षित तारीख की गणना के उद्देश्य से प्रारंभिक तारीख के रूप में कंपनी द्वारा प्रस्तुत नई विपणन योजना के अनुमोदन की तारीख माना जाएगा। इन कंपनियों को भी नई कंपनियों को उपलब्ध दोनों विकल्प दिए जाएंगे अर्थात् प्रति दूरस्थ क्षेत्र आरओ के लिए 2 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान करना या प्रति दूरस्थ क्षेत्र आरओ के लिए 3 करोड़ रुपए बैंक गारंटी जमा करना।

ii. इन कंपनियों को केंद्र सरकार को नए दिशानिर्देशों की अधिसूचना की तारीख के एक महीने के भीतर एक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जिसमें पिछली नीति, जिसके द्वारा उन्हें प्राधिकार प्रदान किया गया था, की शर्तों के अनुसार दूरस्थ क्षेत्रों में खुदरा बिक्री केंद्रों की स्थापना के संबंध में अनुपालन की स्थिति प्रदान की जाएगी। किसी भी कमी के मामले में, कंपनी के प्रचालन के प्राधिकार को मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार वापस लिया जा सकता है। तथापि, कंपनी को नए दिशानिर्देशों की अधिसूचना की तारीख के दो महीने की अवधि के भीतर निम्नलिखित दो विकल्पों में से एक का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, ताकि वे पिछली अवधि के अपने दूरस्थ क्षेत्र आरओ दायित्वों को पूरा कर सकें:

क) प्रति दूररस्थ क्षेत्र आरओ की कमी के लिए 2 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया जाए; या

ख) नए दिशानिर्देशों की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष के भीतर दूरस्थ क्षेत्र आरओ की स्थापना के लिए सुरक्षा के रूप में प्रति दूरस्थ आरओ 3 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा किया जाए। यदि कंपनी दो वर्ष के भीतर इन दूरस्थ क्षेत्र आरओ की स्थापना करने में विफल रहती है, तो प्रति दूरस्थ आरओ की कमी के लिए 3 करोड़ रुपए की दर से बैंक गारंटी को दूसरे वर्ष के अंत में भुना पा लिया जाएगा। शेष बैंक गारंटी, यदि कोई हो, कंपनी को लौटा दी जाएगी।

iii. पारंपरिक ईंधनों के अलावा, अधिकृत कंपनियों को उक्त बिक्री केंद्रों के प्रचालन के 3 वर्ष के भीतर अपने प्रस्तावित खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओ) पर कम से कम नई पीढ़ी के एक वैकल्पिक ईंधन की बिक्री के लिए उपर्युक्त पैरा 6.1.3 में उल्लिखित अनुसार की स्थापना करनी होगी।

iv. प्राधिकार की इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, अधिकृत कंपनियों को एक नोटिस जारी किया जाएगा कि क्यों न प्राधिकार को वापस ले लिया जाए। तथापि, यदि किसी कंपनी के पास सुदूर क्षेत्रों में खुदरा बिक्री केंद्रों की अधिशेष संख्या है, तो उसे भावी दायित्वों के साथ अधिशेष को समायोजित करने की अनुमति होगी।

v. थोक विपणन के लिए नई कंपनियों द्वारा देय 15 करोड़ रुपए (पंद्रह करोड़ रुपए) और बैंक गारंटी 5 करोड़ रुपए (पांच करोड़ रुपए) का प्राधिकार शुल्क लागू नहीं होगा।

9.2 मौजूदा पीएसयू ओएमसी (आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल) के मामले में विपणन

i. इन दिशानिर्देशों की अधिसूचना की तारीख के बाद, पीएसयू ओएमसी को उनके द्वारा प्रस्तावित खुदरा बिक्री केंद्रों जिनके लिए नए दिशानिर्देशों की अधिसूचना की तारीख को आशय-पत्र (एलओआई) जारी नहीं की गई है, की संख्या के संबंध में केंद्र सरकार को विस्तृत विपणन योजना प्रस्तुत करनी होगी। उन्हें दूरस्थ क्षेत्रों में खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या के अनुपात में पांच प्रतिशत (5%) खुदरा बिक्री केंद्र प्रदान करने होंगे, जिनकी एलओआई नए दिशानिर्देशों की अधिसूचना की तारीख के बाद जारी की जाएगी। खुदरा बिक्री केंद्रों के विशिष्ट प्रतिशत की स्थापना की समय-सीमा नई कंपनियों को प्रदान की गई समय-सीमा के अनुसार ही होगी जैसा कि पैरा 6.2.1 में उल्लेख किया गया है।

ii. पारंपरिक ईंधनों के अलावा, इन कंपनियों को उक्त बिक्री केंद्रों के प्रचालन के तीन वर्ष के भीतर अपने प्रस्तावित खुदरा बिक्री केंद्रों पर कम से कम नई पीढ़ी के एक वैकल्पिक ईंधन की बिक्री के लिए उपर्युक्त पैरा 6.1.3 में उल्लिखित अनुसार स्थापना करनी होगी।

iii. पीएसयू ओएमसी को दूरस्थ क्षेत्र के दायित्वों की पूर्ति की सुरक्षा के रूप में बैंक गारंटी जमा करने से छूट दी जाएगी। तथापि, दूरस्थ क्षेत्र आरओ स्थापित करने में चूक के मामले में लागू जुर्माना उन पर भी लागू होगा।

iv. थोक विपणन के लिए नई कंपनियों द्वारा देय 15 करोड़ रुपए (पंद्रह करोड़ रुपए) और 5 करोड़ रुपए (पांच करोड़ रुपए) की बैंक गारंटी का प्राधिकार शुल्क लागू नहीं होगा।

10. सामान्य बिंदु

10.1 कंपनियों को विपणन के लिए नई तकनीकों का उपयोग करने; डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने; महिलाओं और पूर्व सैनिकों को अधिक रोजगार प्रदान करना; और सभी आरओ पर सीसीटीवी सुविधा स्थापित करने की आवश्यकता होगी।

10.2 सूचना प्रस्तुत करना

10.2.1 अधिकृत कंपनियां पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), केंद्र सरकार द्वारा नामित एजेंसी को समय-समय पर निर्दिष्ट प्रारूप में तिमाही विवरणी प्रस्तुत करेंगी, जिसमें दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित किए गए खुदरा बिक्री केंद्रों के विवरण सहित उनके भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) निर्देशांक के साथ स्थापित आरओ को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

10.2.2 उपर्युक्त के अलावा, सभी अधिकृत कंपनियों को अपने बुनियादी ढांचे, संभार-तंत्र, स्थानांतरण, बिक्री, आयात/ निर्यात आदि के संबंध में सूचना मासिक आधार पर समय-समय पर निर्धारित प्रपत्र और अवधि में पीपीएसी को प्रस्तुत करना होगा।

10.3 कंपनी को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और ग्राहक सेवा के उच्च स्तर प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

11. प्राधिकार वापस करना

यदि कोई कंपनी किसी भी समय अपने प्राधिकार को वापस करना चाहती है, तो उसे इस संबंध में केंद्र सरकार को कारण बताते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। सरकार सामान्यत: सभी बकाया / विवादों, यदि कोई हों, को निपटाने के प्राधिकृत कंपनी को अनुशासित व्यवहार के लिए प्राधिकार लौटाने और जमा बैंक गारंटी का रिफंड करने की अनुमति देगी, जबकि सरकार उसके पास जमा अन्य सभी राशि/ बैंक गारंटी को जब्त कर लेगी।

12. प्राधिकार का स्थानांतरण

केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना परिवहन ईंधन की बिक्री करने का प्राधिकार हस्तांतरणीय नहीं होगा। प्राधिकार के हस्तांतरण को आम तौर पर प्राधिकार प्रदान किए जाने से सात वर्ष तक अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, विपणन प्राधिकार को किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित करने के मामले में, हस्तांतरण की जाने वाली कंपनी विपणन प्राधिकार प्रदान करने के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करेगी और यह प्राधिकृत कंपनी के सभी दायित्वों की जिम्मेदारी लेगी जो अपने विपणन प्राधिकार को स्थानांतरित कराना चाहते हैं।

13. प्राधिकार प्रदान करना, दिशानिर्देशों में संशोधन करने और विवाद के निवारण का अधिकार

13.1 सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) कंपनी द्वारा आवेदन के समय प्राधिकार प्रदान नहीं करने का अधिकार रखती है और जनहित में ऐसा करने के कारण बताते हुए किसी भी समय प्राधिकार को निरस्त कर सकती है।

13.2 प्राधिकार कंपनी द्वारा उसकी निबंधन एवं शर्तों और इस संकल्प में निहित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के अधीन होगा, ऐसा न करने पर सरकार कंपनी के प्राधिकार को रद्द कर सकती है।

13.3 सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) जनहित में परिवहन ईंधनों की बिक्री के लिए प्राधिकार प्रदान करने के दिशानिर्देशों के किसी भी खंड में संशोधन करने/हटाने का अधिकार रखती है और अधिकृत कंपनियां सरकार के ऐसे परिवर्तनों और नीतिगत निर्णयों का पालन करेंगी।

13.4 इन दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान के संबंध में कोई भी संदेह या विवाद होने के मामले में, भारत सरकार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

13.5 विपणन प्राधिकार आवेदक को सक्षम प्राधिकारी के कानून, नियमों या विनियमों के तहत आवश्यक अन्य मंजूरी प्राप्त करने के दायित्व से मुक्त नहीं करता है। इसके अलावा, इस संकल्प के किसी भी खंड के तहत की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई किसी सक्षम प्राधिकारी के किसी कानून, नियमों, विनियमों के तहत किसी अन्य कानूनी कार्रवाई से कंपनी को मुक्त नहीं करती है।

14. जैसा कि यह संकल्प केवल एमएस और एचएसडी से संबंधित है, ऊपर उल्लिखित दिनांक 8.3.2002 और 10.08.2015 के पूर्व संकल्प, जहां तक एमएस और एचएसडी का संबंध है, इस संकल्प द्वारा अधिक्रमित हो जाएंगे; जबकि एटीएफ और बायो-डीजल से संबंधित प्राधिकार मौजूदा नियमों के अनुसार संचालित होते रहेंगे।

15. इसमें निहित निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अगले आदेश तक लागू रहेंगे।

आशीष चटर्जी, संयुक्त सचिव (विपणन)

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

RESOLUTION

New Delhi, the 8th November, 2019

No.P-12029(11)/2/2018-OMC-PNG–The Government of India *vide* Resolution No. P-20012/29/97-PP dated 21st November, 1997 decided on phased dismantling of Administered Price Mechanism (APM) of motor spirit (MS), high speed diesel (HSD) and aviation turbine fuel (ATF). Thereafter, based on a Report submitted by the Group of Ministers working out a specific framework for developing "Indian Hydrocarbon Vision-2025" in March 2000, the Government of India decided to grant authorization to market transportation fuels to the new entrants including the private sector, *vide* Resolution No. P-23015/1/2001-Mkt dated 8th March, 2002. Thereafter, *vide* Resolution No. P-11013/1/2-15-Dist dated 10th August, 2015, the said Resolution was revised to include bio-diesel also. The guidelines contained in the said Resolution continue to regulate the grant of authorization process till date.

2. In view of changed marketing dynamics and to further improve service levels in retail marketing by introducing more competition from private sector marketing companies, an Expert Committee was constituted by this Ministry vide its Order no. P-12029(11)/2/2018-OMC-PNG dated 5th October, 2018 to look at various issues related to implementation of existing guidelines for grant of authorization to market transportation fuels. The report has recommended measures to increase private sector participation, including foreign players in the marketing of MS and HSD while also encouraging dispensing of alternate fuels and augmentation of retail network in remote areas and ensuring higher levels of customer service.

3. The Government of India, after having considered the above Report and comments received from various stakeholders, has now decided to revise guidelines for granting authorization to market transportation fuels viz, MS and HSD to new entrants including the private sector and also make certain amendments in the terms and conditions for the already authorized entities and the Public Sector Undertaking (PSU) oil marketing companies (OMCs). Accordingly, the earlier Marketing Resolutions dated 8th March, 2002 and 10th August, 2015 would cease to be operative only in respect of MS and HSD and the revised guidelines as detailed here under shall be effective for MS and HSD from the date of publication of the same in the Gazette of India.

4. Considering that retail and bulk business of marketing of transportation fuels (MS and HSD) are different in nature, entities may either apply for retail business or bulk business or both.

5. **Retail business** is when an entity sells product through the dispensing units installed in the retail outlets. **Bulk business** is when an entity supplies product directly in bulk {minimum one full truck load of ordinarily twelve thousand (12,000) litres per delivery} to end users (for their own consumption and not for resale) and/or to other entities who have obtained marketing authorisation (for selling in either retail or bulk or both). The guidelines for grant of authorisation for each type of application have been outlined separately below.

6. **Authorisation for retail marketing:** Retail business is when an entity sells product through the dispensing units installed in the retail outlets.

6.1 Eligibility criteria

6.1.1 An entity seeking authorisation for retail marketing only should have a minimum net worth of at least ₹ 250 crore (Rupees two hundred fifty crore) at the time of making the application to the Central Government for grant of authorisation. Accordingly, it would be required to submit the audited accounts statement of the previous financial year in support of its application. Further, the entity would be required to ensure that its net worth does not fall below ₹ 250 crore at any point of time during the tenure of the authorisation. Therefore, the entity would be required to file an annual statement in this regard with the Central Government along with audited accounts statement. In case of a newly established entity applying for authorisation which does not have audited accounts statement, a certificate from a chartered accountant stating that the entity has a net worth of ₹ 250 crore, would be accepted. The credentials only of the entity applying for authorisation and not of its parent entity, if any, shall be taken into consideration while deciding the application.

6.1.2 The authorisation for retail marketing would be contingent to the entity undertaking to comply with all the terms and conditions mentioned in this Resolution and letter of authorization issued to the entity.

6.1.3 In addition to conventional fuels, the authorized entities are required to install facilities for marketing at least one new generation alternate fuels like Compressed Natural Gas (CNG), biofuels, Liquefied Natural Gas (LNG), electric vehicle charging points etc. at their proposed retail outlets (RO) within three years of operationalization of the said outlet subject to the entity complying with various other statutory guidelines (of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, Central Electricity Authority, Petroleum and Explosives Safety Organisation, etc. as applicable). There shall not be any restriction on an authorized entity utilizing the same retail outlet premises for sales of other new generation transportation fuels by other companies subject to it complying with all statutory guidelines as applicable.

6.2 Application process

The entity seeking authorisation for retail marketing shall make an application to the Central Government in the prescribed manner along with the requisite non-refundable application fee of ₹ 25 lakh (Rupees twenty five lakh). The entity needs to set up at least hundred retail outlets, out of which at least five percent (5%) of the proposed retail outlets shall be set up in the notified remote areas within five years of grant of authorisation as per timelines indicated in Para 6.2.1. The cumulative percentage of authorised ROs as mentioned in Para 6.2.1 below are the minimum numbers which the entity would be required to set up by the end of that year. The year will be calculated from the date of grant of authorization.

The authorized entities shall have the flexibility to commission any of MS or HSD or both at any of its non-remote retail outlet. However, it shall mandatorily provide both MS and HSD facility at a remote area RO. In case of non-remote ROs, if an entity puts up only MS facility at one site and only HSD facility at another site, it would be construed as two retail outlets.

6.2.1 Commissioning schedule of remote area retail outlets

The timelines for commissioning of minimum number of remote area retail outlets is as follows:

At end of Year	Minimum cumulative percentage of required remote area ROs (%)*
1st	0
2nd	0
3rd	20
4th	50
5th	100

** In case the number works out to be in decimals, the same would be rounded off to the next higher integer. (e.g. If the percentage works out to be 4.2, the same would be rounded off to 5)*

6.2.2 Marketing plan

The entity seeking authorisation for retail marketing shall also submit a marketing plan in its application. The entity would be required to specify the year-wise number of retail outlets it proposes to set up subject to a minimum of hundred (100) retail outlets in the application itself. Apart from the above, the marketing plan would include:

- The source of supply of products to be marketed;
- Tankage and other infrastructure with their capacity;
- Means of transportation of products to depots and to ROs; and
- Year-wise number of ROs proposed.

6.2.3 Remote area obligation

6.2.3.1 Five percent (5%) of the proposed retail outlets shall be set up by the entity in the notified remote areas within five years of grant of authorisation as per timelines indicated in para 6.2.1. Currently, **Remote Area (RA)** for the purpose of this Resolution is defined in Notification no. P-23015/1/2003-Mkt. dated 5th August 2003. The Central Government may update the list of areas specified in remote areas from time to time keeping in mind the number of retail outlets set up by various OMCs so as to ensure coverage of all remote areas. Once sufficient numbers of retail outlets have been set up in a particular remote area, the Central Government may notify exclusion of such area from the list which shall ordinarily be effective after one year of such notification. However, the retail outlet once commissioned in a remote area, would continue to be counted as a remote area retail outlet.

6.2.3.2 The following two options would be available to the entity in respect of its obligation towards remote area retail outlets which they have to exercise at the time of application itself.

Option- 1: Upfront payment of ₹ 2 crore (Rupees two crore) per remote area RO within one month of grant of authorisation to the Government in case the entity does not want to set up such ROs itself.

Option-2: Submit a Bank Guarantee (BG) of ₹ 3 crore (Rupee three crore) per remote area RO within one month of grant of authorisation to the Government in case the authorized entity wants to set up such ROs itself. In case the authorized entity fails to set up remote area ROs as per the timelines indicated above in Para 6.2.1, the Government shall en-cash bank guarantee equivalent to the shortfall in remote area ROs @ ₹ 3 crore/ RO immediately at the end of the year of shortfall itself. The year will be calculated from the date of grant of authorization.

6.2.3.3 Central Government will utilize the funds received under both the options above for setting up retail outlets in remote areas using bidding process or through PSU OMCs.

Thereafter, the total number of authorised ROs that the entity would be required to setup as per the schedule would be reduced by the number of ROs for which they paid upfront (option 1) or penalty (option 2) to meet the remote area obligation.

6.2.4 Universal service obligation (USO) for remote service ROs

The authorized entities shall have to follow certain Universal Service Obligations (USOs) in respect of remote area retail outlets in the manner given below and as prescribed by the Government from time to time.

- maintaining supplies of MS and HSD to retail consumers throughout the specified working hours and of specified quality and quantity;

- ensuring availability of minimum facilities as specified by the Central Government, to all the retail consumers at the retail outlet;
- maintaining minimum inventory levels of MS and HSD as specified by the Central Government from time to time;
- providing service to any person on demand within a reasonable period of time and on non-discriminatory basis;
- Availability of fuel to the customers at reasonable prices.

6.2.5 Bank guarantee (BG) and penalties

The entity shall deposit a bank guarantee with the Central Government at the time of grant of authorisation for retail marketing for meeting the following:

(i) ₹ 3 crore (Rupee three crore) per remote area RO in case the entity has chosen Option 2 in Para 6.2.3.2 above towards the entity meeting its commitment of commissioning remote area ROs as per the timelines and fulfilling USOs in respect of the RO. If the authorized entity fails to commission any remote area RO as per the approved timelines, the Central Government shall en-cash bank guarantee equivalent to ₹ 3 crore (Rupees three crore) per remote area RO corresponding to short fall in commissioning vis-à-vis targets for that year. The bank guarantee of ₹ 2.5 crore (Rupees two crore fifty lakh) per remote RO actually set up shall be released by Government after the authorized entity has discharged its full obligations either by setting up of the RO itself or by paying the penalty of ₹ 3 crore (Rupees three crore) per remote area RO. The balance BG of ₹ 50 lakh (Rupees fifty lakh) per remote RO shall be retained as a security towards the authorized entity fulfilling USOs for these ROs. However, in case the entity has chosen Option 1 in Para 6.2.3.2 above, no bank guarantee will be taken from it on account of commissioning of remote area RO and fulfilling USOs related to remote area.

(ii) ₹ 5 crore (five crore rupees) towards maintaining disciplined behaviour in the market in terms of making proper representation about its operations to the public/dealers, providing high customer service to customers and providing timely and regular information about its infrastructure/sales /operations etc. to the Central Government or its nominated agency. The BG shall be collected from all the authorized entities which have chosen either Option 1 or Option 2 in Para 6.2.3.2 above. A penalty of twenty five lakh rupees (₹ 25,00,000/-) per instance may be levied in case of each established instance of indiscipline. If the authorized entity fails to pay the penalty in given time, the Government shall have the power to en-cash the BG equal to penalty value and the authorized entity shall be required to replenish BG to the full value of five crore rupees (₹ 5,00,00,000/-) within a period of sixty days from the date of encashment of BG.

(iii) In case of repeated default in maintaining discipline, both the Bank Guarantee deposited with the Government towards remote area obligation and discipline shall be en-cashed by the Government and any amount deposited/paid by the authorized entity to the Government shall stand forfeited. Further, the Government may also revoke the marketing authorisation in public interest.

6.2.6 Other points

Persons having dealership with one PSU OMC under 'Open' category may be allowed dealership of more than one marketing company but at a different site for future ROs, subject to the same being allowed in the contracts/ agreements with the existing PSU OMC.

An RO dealer blacklisted by any of the authorized entity or PSU OMCs shall not be allowed to take up dealership with other authorized entity or PSU OMCs. Further, the sites of terminated dealership will be utilized by other authorized entity subject to obtaining NOC from the original authorized entity to operate the terminated retail outlet site.

No authorized entity shall be allowed to market transportation fuels from the existing retail outlets of another entity i.e. the encroachment of existing retail outlet of one OMC by another OMC is not allowed.

7. Authorisation for bulk marketing: Bulk business is when an entity supplies product (MS and HSD) directly in bulk {minimum one full truck load of ordinarily twelve thousand (12,000) litres per delivery} to end users (for their own consumption and not for resale) and/or to other entities who have obtained marketing authorisation (for selling in either retail or bulk or both). The authorisation to market in bulk would be for MS and HSD only.

7.1 Eligibility criteria

The entity seeking authorisation for bulk marketing should have a minimum net worth of at least ₹ 250 crore (Rupees two hundred and fifty crore) at the time of making the application to the Central Government for grant of authorisation. Accordingly, the entity would be required to submit audited accounts statement of the previous financial year in support of its application. Further, the entity would be required to ensure that its net worth does not fall below ₹ 250 crore at any

point of time during the tenure of the authorisation. Therefore, the entity would be required to file an annual statement in this regard with the Central Government along with audited accounts statement. In case of a newly established entity applying for authorisation which does not have audited accounts statement, a certificate from a chartered accountant stating that the entity has a net worth of ₹ 250 crore, would be accepted. The credentials only of the entity applying for authorisation and not of its parent entity, if any shall be taken into consideration while deciding the application.

7.2 Application process

The entity seeking authorisation for bulk marketing shall make an application to the Central Government in the prescribed manner along with the requisite non-refundable application fee of ₹ 25 lakh (Rupees twenty five lakh) and need to pay upfront at the time of grant of authorization, an amount of ₹15 crore (Rupees fifteen crore) as non-refundable authorisation fees.

The entity seeking authorisation for bulk marketing shall include in its application to the Central Government a marketing plan detailing the following:

- The source of supply of products to be marketed;
- Tankage and other infrastructure with their capacity;
- Means of transportation of products to depots and to bulk customers;
- Total quantum and type of products to be covered.

7.3 Bank guarantee and penalty

The entity shall deposit a bank guarantee with the Central Government at the time of grant of authorisation for bulk marketing for meeting the following:

(i) ₹ 5 crore (Rupee Five Crore) at the time of grant of authorisation for bulk marketing to ensure that the authorized entity maintains discipline in operations of its authorisation in terms of proper representation about its operations to the public/ customers/ channel partners and furnishing regular and timely the prescribed information to the Central Government or its nominated agency. A penalty of ₹ 25 lakh (Rupee twenty five lakh) per instance shall be levied in case of each established instance of indiscipline. If the authorized entity fails to pay the penalty in a given time, Government shall have the power to en-cash the BG equivalent to penalty value and the authorized entity shall be required to replenish BG to the full value of ₹ 5 crore (Rupee five crore) within a period of sixty days from the date of encashment of BG.

(ii) In the case of repeated default in maintaining discipline, the entire bank guarantee deposited by the entity with the Government shall be en-cashed and any amount deposited/paid by the entity to the Government shall stand forfeited. Further, the Government may also revoke the marketing authorisation in public interest.

8. Applicability of the guidelines for companies applying for both retail and bulk marketing:

An entity seeking authorization for both retail and bulk marketing simultaneously shall make an application to the Central Government with the requisite non-refundable application fee of ₹ 50 lakh (Rupees fifty lakh) and should have a minimum net worth of ₹500 crore (Rupee five hundred crore) and would abide with all the provisions detailed in above Paras 5 and 6 along with their sub-paras with the following modifications only:

(i) The non-refundable authorization fee for bulk marketing shall be ₹ 10 crore (Rupees ten crore).

(ii) For both retail and bulk authorisation, the entity is required to fulfill its obligations related to both the businesses separately, however, it shall be required to deposit only ₹ 5 crore (Rupee five crore) bank guarantee instead of ₹ 10 crore (Rupee ten crore) towards meeting the obligation in respect of disciplined behavior.

9. Applicability of new guidelines to existing authorised companies

The new guidelines shall also be applicable to the existing entities who have been authorised to market transportation fuels under the previous guidelines issued vide Gazette Notification dated 8.3.2002/10.8.2015 and the existing PSU OMCs, i.e. Indian Oil Corporation Limited (IOCL), Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) and Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) in the following manner:

9.1 Marketing in case of existing entities who have been authorised to market transportation fuels under the guidelines issued vide Gazette Notification dated 8.3.2002/ 10.8.2015.

i. All entities authorised to market transportation fuels under the guidelines issued vide Gazette Notification dated 8.3.2002/ 10.8.2015, shall be required to submit detailed marketing plan to the Central Government regarding the number of retail outlets proposed to be set up by them after the date of notification of these

guidelines. They shall also be required to set up five percent (5%) of the retail outlets in remote areas in proportion to the number of retail outlets to be set up by them after notification of the new guidelines. The timelines for setting up specific percentage of retail outlets shall be the same timelines provided for new entities as per above Para 6.2.1 and the date of approval by the Government of the new marketing plan submitted by the authorized entity shall be treated as the start date for the purpose of counting of target dates. These entities shall also be given both the options as available to new companies i.e. upfront payment of ₹ 2 crore (Rupee two crore) per remote area RO or deposit of ₹ 3 crore (Rupee three crore) bank guarantee per RO in remote area.

ii. These entities shall also be required to submit a statement to the Central Government within one month from the date of notification of new guidelines giving the status of compliance in respect of commissioning of retail outlets in remote areas as per the terms of the earlier policy vide which they were granted authorisation. In case of any shortfall, the authorisation is liable to be withdrawn as per the earlier policy guidelines. However, the authorized entities shall be allowed to exercise one of the following two options within a period of two months of date of notification of new guidelines, to meet their remote area obligations of the past period:

a) make an upfront payment of ₹ 2 crore (Rupee two crore) per remote area RO of shortfall; or

b) deposit a bank guarantee of ₹ 3 crore (Rupee three crore) per remote RO of shortfall as a security towards setting up the remote area ROs within two years from the date of notification of the new guidelines. In case the entity fails to set up these remote area ROs within two years, the bank guarantee of ₹ 3 crore (Rupee three crore) per remote RO of shortfall shall be en-cashed at the end of the second year. The balance bank guarantee, if any, shall be returned to the authorized entity.

iii. In addition to conventional fuels, the authorized entities are required to install facilities for marketing at least one new generation alternate fuels at their proposed retail outlets within three years of operationalization of the said outlet as detailed in above Para 6.1.3.

iv. In case of violation of these conditions of authorisation, the authorized entities shall be issued a notice proposing withdrawal of authorisation. However, in case an authorized entity presently has surplus number of retail outlets in remote areas, it shall be allowed to set off the surplus with the future obligations.

v. Authorisation fees of ₹ 15 crore (Rupees fifteen crore) and bank guarantee of ₹ 5 crore (Rupees five crore) payable by new entities for bulk marketing shall not be applicable.

9.2 Marketing in case of existing PSU OMCs (IOCL, BPCL and HPCL):

i. From the date of notification of these guidelines, PSU OMCs shall be required to submit detailed marketing plan to the Central Government regarding number of retail outlets proposed to be set up by them for which Letter of Intents (LOIs) have not been issued as on the date of notification of these guidelines. They are required to set up five percent (5%) of the retail outlets in remote areas in proportion to the number of retail outlets whose LOIs will be issued after the date of notification of these guidelines. The timelines for setting up specific percentage of retail outlets shall be the same as timelines provided for new entities as mentioned in above Para 6.2.1.

ii. In addition to conventional fuels, these entities are required to install facilities for marketing at least one new generation alternate fuels at their proposed retail outlets within three years of operationalization of the said outlet as detailed in above Para 6.1.3.

iii. The PSU OMCs shall be exempted from the deposition of the bank guarantee as security towards fulfillment of remote area obligations. However, applicable penalty in case of default in setting up remote area ROs shall be applicable to them also.

iv. Authorisation fees of ₹ 15 crore (Rupees Fifteen crore) and bank guarantee of ₹ 5 crore (Rupees Five crore) payable by new entities for bulk marketing shall not be applicable.

10. Common points

10.1 The entities are also required to use new technologies for marketing; encourage digital payments; provide more employment to women and ex-servicemen; and install CCTV facility at all ROs.

10.2 Submission of information

10.2.1 The authorised entities would furnish a return in the format as specified from time to time, to Petroleum Planning & Analysis Cell (PPAC), an agency nominated by the Central Government, providing therein the details of commissioned ROs along with their Geographic Information System (GIS) coordinates clearly indicating therein the details of the retail outlets commissioned in remote areas.

10.2.2 Apart from the above, all authorised entities would be required to furnish information in respect of their infrastructure, logistics, transfers, sales, imports/ exports etc. in formats and periodicity as prescribed from time to time, to PPAC.

10.3 The entity shall be required to ensure availability of minimum facilities as specified by the Government from time to time and provide high levels of customer service.

11. Surrender of authorisation

In case an entity desires to surrender its authorisation at any point of time, it would be required to file an application with the Central Government stating reasons thereof in this regard. Government shall ordinarily grant permission for the surrender and refund the bank guarantee deposited towards disciplined behavior to the authorized entity after settling all dues/disputes, if any, while forfeiting all other amounts/ bank guarantee(s) deposited with the Government.

12. Transfer of authorisation

The authorisation to market transportation fuels will not be transferable without prior permission of the Central Government. The transfer of authorisation shall normally not be allowed up to seven years from the grant of authorization. Further, in case of transfer of market authorization to any other entity, the transferee entity shall fulfill all the eligibility conditions for grant of market authorization and it shall take all obligations of the authorized entity which desire to transfer its market authorization.

13. Grant of authorization, power to amend the guidelines and dispute redressal

13.1 The Government (Ministry of Petroleum and Natural Gas) reserves the right to not grant authorization at the time of application by the entity and also to revoke authorisation at any point of time after assigning reasons for doing so in public interest.

13.2 The authorization is subject to the entity complying with the terms and conditions of the Authorization and the guidelines contained in this Resolution, failing which the Government may revoke the authorization of the entity

13.3 The Government (Ministry of Petroleum and Natural Gas) reserves its right to amend/delete any of the Clauses of the guidelines for grant of Authorization to Market transportation fuels in public interest and the authorized entities shall comply with such changes and policy decisions of the Government.

13.4 In case of any doubt or dispute as regards any of the provisions of these guidelines, the decision of the Government of India shall be final and binding.

13.5 The marketing authorization does not discharge the Applicant from the obligation of obtaining other approvals as required under the law, rules or regulations of a competent authority. Further, the disciplinary action taken under any clause of this Resolution doesn't discharge the entity from any other legal action due under any law, rules, regulations of a competent authority.

14. As this Resolution pertains to only MS and HSD, the earlier Resolutions dt. 8.3.2002 and 10.08.2015 mentioned above shall stand superseded by this Resolution so far as MS and HSD are concerned; while the authorization pertaining to ATF and Bio-diesel shall continue to be governed as per existing regulations

15. The decision herein contained will come into force at once and will remain in force till further orders.

ASHISH CHATTERJEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.11.09 13:42:28 +05'30'